



कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर,
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL GOODS & SERVICES TAX,
जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर-342 003
G-105, NEW JODHPUR INDUSTRIAL AREA, JODHPUR-342003
Tel.No. 0291-2795147, 154
e-mail : commcexjodh@rediffmail.com

फा.सं. 1(22)05/प्रशा./जेडीआर/2020/

दिनांक- 02.06.2020

कार्यालय आदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश सं. 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 30.05.2020 सपठित राजस्थान सरकार, गृह विभाग, जयपुर के आदेश सं. P.33(2)Home-9/2019 दिनांक 31.05.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संम सं. 2049-2060 दिनांक 29.05.2020 जिसके तहत रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी को तुरन्त प्रभाव से वापस (Withdraw) लिया जाता है एवं यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सभी कार्य दिवसों में, कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राजस्थान सरकार के द्वारा Containment of COVID-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालना किया जाना भी सुनिश्चित करें।

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

नितिन वापा
2/6/2020
(नितिन वापा)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर (जयपुर जोन), जयपुर।
2. संयुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग, ए.बी.सी, जोधपुर/डी. ई. पाली/एफ, जी, बीकानेर/एच.आई., श्रीगंगानगर।
3. सहायक आयुक्त (तकनीकी/कर अपवंचना/न्याय निर्णय), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर।
5. नोटिस बोर्ड।